भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई)

प्रेस नोट

दिनांक : 14 फरवरी, 2017

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई), जो विभिन्न खाद्यों के पौष्टिकीकरण द्वारा जनता में पोषण की कमी के समाधान में रत है, ने अब इस कार्यक्रम को और आगे ले जाने के लिए ''खाद्य पौष्टिकीकरण और पौषण'' पर वैज्ञानिक पैनल का गठन किया है।

यह पैनल आहार में वसा, शर्करा और लवण के स्वास्थ्यपरक उपयोग की पहचान करने और आहार सर्वेक्षण तथा विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर भारतीय आहार में सामान्य रूप से पौषण की गंभीर कमी को पहचानने के साथ-साथ विशिष्ट लक्षित ग्रुपों में पौषण की गंभीर कमी को पहचानेगा, आम जनता तथा असुरक्षित ग्रुपों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए कार्य-प्रणाली परिभाषित करेगा और खाद्य पोषण के सभी उपयुक्त साधनों संबंधी मानकों की पुनरीक्षा करेगा। यह विनियात्मक और संबंधित प्रौद्योगिकीय मुद्दों पर भी विचार करेगा, आधुनिक जोखिम मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग करते हुए उद्योगों के प्रस्तावों की जाँच करेगा तथा प्रभावी मानिटरिंग, निगरानी और संबंधित विनियमों के प्रवर्तन के लिए मानक प्रतिचयन एवं परीक्षण पद्धतियाँ तय करेगा।

इस वैज्ञानिक पैनल में ग्यारह विशिष्ट विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक हैं, जिनमें मेदांता से डॉ. अंबरीश मित्तल, एम्स से डॉ. सी. एस. पांडव तथा मेजर जनरल (डॉ.) आर. के. मरवाहा (सेवा-निवृत्त), सेंट जोहन्स मेडिकल कॉलेज से डॉ. अनुरा कुरपाड, सी.एस.आई.आर-भारतीय आविषालुता अनुसंधान संस्थान से डॉ. योगेश्वर शुक्ला, सीता राम भारतीय इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च से प्रो. एच. पी. एस. सचदेव, राष्ट्रीय पौषण संस्थान से डॉ. के. एम. नय्यर, न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से डॉ. पी. रामाचन्द्रन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से डॉ. सुमित अरोड़ा, एम. एस. यूनिवर्सिटी, बड़ौदा से डॉ. श्रीमेवो नय्यर, और भारती विद्यापीठ से प्रो. हरसुल्कर शामिल हैं। इनके अतिरिक्त गेहूँ के आटे, परिशोधित आटे, चावल, दूध, खाद्य तेल और लवण आदि खाद्यों के पौष्टिकीकरण से संबंधित वैज्ञानिक पैनलों के सदस्य भी इस पैनल के सदस्य होंगे। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; जैव प्रौद्योगिकी विभाग; और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् भी पैनल से सहयोग करेंगे।

सूक्ष्म पौषक त्तवों के कुपोषण संबंधी विकार जनता के सभी आयु समूहों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (2006-07) और विश्व बैंक (2006) के अनुसार लगभग 70% स्कूल-पूर्व बच्चे लौह की कमी के कारण रक्तल्पता से पीड़ित हैं और 57% स्कूल-पूर्व बच्चों में उप नैदानिक विटामिन 'ए' की कमी है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक (2006) के अनुसार 85% जिलों में आयोडीन की कमी सर्वव्यापी है। इसके अतिरिक्त फोलेट की अल्पता, जिससे न्यूरल ट्यूब के विकार (एन.टी.डी.एस) उत्पन्न हो जाते हैं, भारतीय संदर्भ में जन्मजात् विकृति का सबसे आम कारण है, जो प्रति 1000 शिशुओ में 0.5 से 8 शिशुओं में पाया जाता है। यह अनुमान है कि इनमें से 50-70% जन्मजात् दोषों से बचा जा सकता है।

एफ.एस.एस.ए.आई मानक निर्धारण और विनियात्मक संस्था होने के कारण इसने इन विकारों तथा विटामिन की कमी से होने वाले कुपोषण के अन्य विकारों से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आहार पौष्टिकीकरण के माध्यम से कदम उठाया है।

यह ध्यान में लाया जाता है कि एफ.एस.एस.ए.आई ने पहले पौष्टित खाद्य के लिए "खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पौष्टिकीकरण) विनियम, 2006" नाम से विनियमों का मसौदा प्रकाशित किया था, जिसे अक्तूबर, 2016 के मध्य में आयोजित राष्ट्रीय खाद्य पौष्टिकीकरण शिखर सम्मेलन में क्रियात्मक रूप दे दिया गया। पैनल इन मसौदा विनियमों पर प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर विनियमों को अंतिम रूप देगा।

राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप एफ.एस.एस.ए.आई ने देश में खाद्य के व्यापक स्तरीय पौष्टिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए खाद्य पौष्टिकीकरण संसाधन केंद्र (एफ.एफ.आर.सी) आरंभ किया है। खाद्य कारोबार को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने और उसे सुसाध्य बनाने के लिए और सरकारी कार्यक्रमों में पौष्टित खाद्यों को अपनाने के लिए एफ.एफ.आर.सी का एक ऑनलाइन पोर्टल श्री बिल गेट्स की उपस्थिति में दिनांक 17 नवंबर, 2016 को आरंभ किया गया था।

इसी दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों और ग्लोबल एलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन (गेन), वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (डब्ल्यू.एफ.पी), माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिसिएटिव आदि विकास सहयोगियों के साथ-साथ रेशा आहार निर्माताओं के सतत सहयोग से दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर और बंगलुरू में क्रमश: उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कवर करते हुए चार जोनल कंसल्टेशनों का संयुक्त संयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पाँचवाँ कंसल्टेशन गुवाहाटी में 15 फरवरी, 2017 को होगा।

एफ.एस.एस.ए.आई को आशा है कि खाद्य की सुरक्षा और गुणता को सुनिश्चित करने वाली विनियात्मक प्रणाली के साथ-साथ सरकार तथा कार्यक्रम के सहयोगियों, हितधारकों और उपभोक्ताओं के सतत सहयोग से सामान्य रूप से कुपोषण और विशिष्ट रूप से सूक्ष्म पोषक तत्वों के कुपोषण की समस्या से शीघ्र ही निपट लिया जाएगा।

खाद्य पौष्टिकीकरण का चिह्न: एफ.एस.एस.ए.आई ने पौष्टित खाद्य के लिए एक चिह्न भी बनाया है, जिसका खाद्य कारोबार द्वारा उपयोग किया जा सकता है। यह चिह्न एक वर्ग में +F के चारों ओर वृत्त खींचकर बनाया गया है, जिससे तात्पर्य अच्छा स्वास्थ्य, संरक्षण और सक्रिय जीवन प्रदान करने के लिए दैनिक आहार में अतिरिक्त पोषण और विटामिनों की पूर्ति है। कई खाद्य काराबारों ने इस चिह्न का उपयोग करना पहले ही आरंभ कर दिया है।

FORTIFIED
SAMPOORN POSHAN
SWASTH JEEVAN

फोर्टिफाइड
संपूर्ण पोषण
स्वस्थ जीवन